



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeфроlko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./09/47/2018/एफ.सी. 253

दिनांक : 09.07.2018

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Other/27358/2017)

विषय: सहारनपुर में नगरीय गैस वितरण परियोजनान्तर्गत बी०पी०सी०एल० द्वारा 8''/6'' व्यास की गैस पाइप लाईन डालने हेतु शिवालिक वन प्रभाग की बिना वृक्ष पातन के 0.136 हे० संरक्षित वनभूमि एवं सामाजिक वानिकी सहारनपुर में 6.207 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 109 वृक्षों एवं 116 पोल्स के पातन की अनुमति। (कुल 6.3430 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु अपयोजन प्रस्ताव)

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उ०प्र० शासन का पत्रांक- 2242/14-2-2018-800(72)/2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उ० प्र० के पत्रांक- पी-831/14-2-2018-800(72)/2018, दिनांक- 19.04.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-09.05.2018 द्वारा आवश्यक सूचनाएं चाही गयी थी जिसकी अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त केन्द्र सरकार सहारनपुर में नगरीय गैस वितरण परियोजनान्तर्गत बी०पी०सी०एल० द्वारा 8''/6'' व्यास की गैस पाइप लाईन डालने हेतु शिवालिक वन प्रभाग की बिना वृक्ष पातन के 0.136 हे० संरक्षित वनभूमि एवं सामाजिक वानिकी सहारनपुर में 6.207 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 109 वृक्षों एवं 116 पोल्स के पातन की अनुमति। (कुल 6.3430 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 12.686 हे० (6.3430 x2= 12.686) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

(ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्दार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी. वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
4. गैस पाइप लाईन डालने हेतु खुदाई के उपरान्त उत्सर्जित मलवे को ठीक प्रकार से उसी जहग पर भरा जाएगा एवं शेष मलवे को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जाएगा। यह कार्य प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा।
5. गैस पाइप लाईन बिछाने हेतु ट्रेन्च द्वारा खुदाई 0.70 मीटर की चौड़ाई में ही की जाएगी तथा प्रयोजन समाप्त होने के उपरान्त स्वतः वन भूमि का प्रत्यावर्तन समाप्त हो जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में वृक्षों का पातन अपरिहार्य परिस्थिति में ही न्यूनतम संख्या में किया जाएगा। एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, खुदाई सुरक्षित रूप से की जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय

(के०के० तिवारी)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ० प्र०।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर, उ० प्र०।
3. श्री विजय दुग्गल, मुख्य महाप्रबन्धक, बी०पी०सी०एल०, 200 प्रथम पैरामाउण्ट टूलिप, दिल्ली रोड, सहारनपुर, उ० प्र०।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश प्रत्रावली।

(के०के० तिवारी)
वन संरक्षक(के.)